



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN :- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

E-mail: hr@ptcul.org

दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 वेबसाइट: www.ptcul.org

पत्रांक: 1904 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / पी-3

दिनांक: 29.10.2024

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० में कार्यरत कर्मिकों को वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन तदर्थ अनुग्रह धनराशि (Adhoc Ex-gratia) के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. तदर्थ अनुग्रह धनराशि की सुविधा केवल उन अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, जिनके पुनरीक्षित सातवें वेतनमानों के अनुरूप वेतनमान रू० 4600 ग्रेड पे (वर्तमान वेतन लेवल-8) तक है, को ही अनुमन्य होगी। रू० 4600 ग्रेड वेतन का अपुनरीक्षित वेतनमान रू० 6500-11000 तक, पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों को जिन्हें समयबद्ध वेतनमान के रूप में उच्च वेतनमान वैयक्तिक रूप में अनुमन्य हो चुका है और उनकी प्रा:स्थिति (स्टेट्स) में परिवर्तन नहीं है, को भी तदर्थ अनुग्रह धनराशि अनुमन्य होगी।
2. तदर्थ अनुग्रह धनराशि के भुगतान की सुविधा हेतु केवल वह कर्मचारी इन आदेशों के अन्तर्गत भुगतान के पात्र होंगे, जो दिनांक 31.03.2024 को नियमित सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2023-24 में 31 मार्च, 2024 तक न्यूनतम 6 माह की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण की हो। वर्ष के दौरान 6 महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को यथा अनुपात भुगतान किया जायेगा, पात्रता अवधि की गणना सेवा के महीनों (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित संख्या) के रूप में की जायेगी। वित्तीय वर्ष के मध्य माहों में सेवानिवृत्त/मृत होने वाले कर्मचारियों द्वारा इस अवधि में की गयी सेवा को आधार मानकर उन्हें/उनके उत्तराधिकारी को अनुग्रह धनराशि के भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।
3. तदर्थ अनुग्रह धनराशि की अधिकतम देय धनराशि रू० 7000/- प्रतिमाह की परिलब्धियाँ पाने वाले कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य राशि तक सीमित रहेगी अर्थात् जिन कर्मचारियों की परिलब्धियाँ रू० 7000/- से अधिक है, उनके लिए भी तदर्थ अनुग्रह धनराशि का आगणन इस प्रकार किया जायेगा मानो उनकी परिलब्धियाँ रू० 7000/- प्रतिमाह है।
4. उपर्युक्त प्रयोजन हेतु परिलब्धियों का तात्पर्य मूल वेतन, वैयक्तिक वेतन, विशेष वेतन जैसा कि क्रमशः मूल नियम 9(21), 9(23) तथा 9(25) में परिभाषित है, प्रतिनियुक्ति भत्ता और महंगाई भत्ते से होगा।
5. मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, उत्तराखण्ड विकास भत्ता, परियोजना भत्ता, विशेष भत्ता आदि को परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
6. रू० 7000/- प्रतिमाह की परिलब्धियों पर दिनांक 31.03.2023 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन परिलब्धियाँ तदर्थ अनुग्रह धनराशि के रूप में रू० 7000 x 30/30.4 = रू० 6,907.89 अर्थात् रू० 6908.00 (छः हजार नौ सौ आठ मात्र) भुगतान किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।
7. ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध वर्ष 2023-24 में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो गई हो या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने के बाद वर्ष 2023-24 में कोई दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ अनुग्रह धनराशि देय नहीं होगी। साथ ही प्रवंचन (Fraud) अथवा विभाग के परिसर में उपद्रव अथवा हिंसात्मक आचरण अथवा चोरी, कारपोरेशन के धन का दुरुपयोग या कारपोरेशन की सम्पत्ति की तोड़-फोड़ के आरोपों में लिप्त कर्मचारी तदर्थ अनुग्रह धनराशि पाने के हकदार नहीं होंगे।

क्रमशः.....2

8. किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ बोनस के सम्बन्ध में एक बार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात् आगामी वर्ष में किसी भी परिस्थिति में पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।
9. तदर्थ बोनस की स्वीकृति के फलस्वरूप ऐसे कार्मिकों को मानदेय केवल महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट कार्यों के लिये ही दिया जायेगा।
10. अवैतनिक अवकाश के मामलों को छोड़कर, अन्य प्रकार के अवकाशों की अवधि को पात्रता अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए आगणित किया जायेगा।
11. लेखा वर्ष में किसी अवधि के लिए निलम्बित रहे कार्मिक को तदर्थ बोनस अनुमन्य नहीं होगा। ऐसा कार्मिक यदि निलम्बन की अवधि के लिए परिलब्धियों के लाभ सहित बहाल होता है तो वह तदर्थ बोनस के लाभ का पात्र होगा।
12. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ अनुग्रह धनराशि की आगणित धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे से अधिक को एक रूपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।
13. इस आदेश द्वारा स्वीकृत अनुग्रह धनराशि का कर्मचारियों को नकद भुगतान किया जायेगा।
14. तदर्थ अनुग्रह धनराशि के भुगतान के लिए लेखा स्कन्ध द्वारा पृथक से प्राधिकार पत्र (लैटर ऑफ अथोरिटी) निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी और कारपोरेशन के उक्त आदेशों के आधार पर ही स्वीकृत तदर्थ अनुग्रह धनराशि का भुगतान ग्राह्य होगा।
15. तदर्थ अनुग्रह धनराशि का भुगतान कारपोरेशन के चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्यय लेखा शीर्षक के नामे डाले जायेगा।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 1904/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0-3 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव/डाटा एन्ट्री आपरेटर-निदेशक (मा0सं0)/(परिचालन)/(परियोजना), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता /महाप्रबन्धक, पिटकुल,
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल,
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल,
6. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
7. कट फाईल।

(अशोक कुमार-जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)(औ0)